NYC Mayor's Office of Immigrant Affairs

इमिग्रेशन कोर्ट 101

Hindi | हिंदी

इमिग्रेशन कोर्ट में, आपको इमिग्रेशन जज के सामने अपना केस लड़ने और यह बताने का मौका मिलेगा कि आपको अमेरिका में रहने की इजाज़त क्यों दी जानी चाहिए। यदि आप इमिग्रेशन कोर्ट में अपना केस हार जाते हैं, तो आप एक अपील दायर कर सकते हैं।

आपको देश से निकाला जा सकता है, यदि:

- आप इमिग्रेशन कोर्ट में हार जाते हैं और अपील नहीं करते,
- आप अपील करते हैं और हार जाते हैं।

इमिग्रेशन कोर्ट में कौन होगा?

- वहाँ एक **इमिग्रेशन जज** होंगे जो यह तय करेंगे कि आपको अमेरिका में रहने की इजाज़त है या नहीं।
- वहाँ **एक अटॉर्नी** होगा जो सरकार के लिए काम करता है। उसका काम अमेरिकी सरकार का प्रतिनिधित्व करना है। वह आपके लिए काम नहीं करता।
- **यदि आपके पास कोई अटॉर्नी है**, तो उसे हमेशा आपके साथ कोर्ट में मौजूद रहने की इजाज़त होगी, और वह आपको कॉल कर सकता है और आपसे मिल भी सकता है।

याद रखें: सरकार आपको अटॉर्नी नहीं देगी, लेकिन आप एक अटॉर्नी नियुक्त कर सकते हैं जो कोर्ट में आपका प्रतिनिधित्व करेगा।

अपनी इमिग्रेशन कोर्ट की तारीख चेक करना

- अपनी कोर्ट की तारीख चेक करने के लिए, आपको अपने A-नंबर (A-number) की ज़रूरत होगी। (उदाहरण: A 000-000-000)। यह नंबर सरकार द्वारा असाइन किया जाता है और इमिग्रेशन के दस्तावेज़ों में दिखाई देता है।
- ऑटोमेटेड केस इन्फर्मेशन सिस्टम (Automated Case Information System) का उपयोग करके अपनी सुनवाई की जानकारी देखें। नीचे दो तरीके दिए गए हैं:
  - 1-800-898-7180 पर हॉटलाइन पर कॉल करें। अपना A-नंबर दर्ज करें और ऑपरेटर के निर्देशों का पालन करें।
  - वेबपेज पर जाएं: https://acis.eoir.justice.gov/en/. सर्च बॉक्स में अपना A-नंबर टाइप करें और “Enter” (प्रवेश करें) पर क्लिक करें।

NYC Mayor's Office of Immigrant Affairs

इमिग्रेशन कोर्ट 101

Hindi | हिंदी

आपकी आमने-सामने की सुनवाई को वर्चुअल/टेलीफ़ोन द्वारा सुनवाई में बदलना

यदि आप अपनी इमिग्रेशन कोर्ट की आमने-सामने की सुनवाई को ऑनलाइन या टेलीफ़ोन फ़ॉर्मैट में बदलना चाहते हैं, तो आपको कोर्ट में एक औपचारिक अनुरोध दायर करना होगा। अगली निर्धारित सुनवाई की तारीख से पहले जितनी जल्दी हो सके, अनुरोध सबमिट करना ज़रूरी है। ऐसा करते समय, आपको **किसी अटॉर्नी से राय लेना** याद रखना होगा।

- कानूनी सलाह किसी अटॉर्नी से लेनी चाहिए, जो ज़रूरी कागज़ात सही तरीके से तैयार करने और उन्हें दायर करने में मदद कर सकता है।
- आपको कोर्ट में सुनवाई का फ़ॉर्मैट बदलने के लिए प्रस्ताव (Motion to Change Hearing Format) दाखिल करना होगा। इमिग्रेशन जज अनुरोध की समीक्षा करेंगे और आपको या आपके अटॉर्नी को फैसले के बारे में बताएंगे।
- यदि प्रस्ताव मंज़ूर किया जाता है, तो सुनवाई ऑनलाइन होगी; यदि उसे नामंज़ूर कर दिया जाता है, तो सुनवाई आमने-सामने ही होगी।

कानूनी प्रतिनिधित्व ढूँढना

पिछले कुछ महीनों में, इमिग्रेशन कोर्ट के अंदर इमिग्रेशन लागू करने की गतिविधि की खबरें आई हैं। यदि आपको हिरासत में लिया जाता है, तो आप पहले से एक योजना तैयार रख सकते हैं। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो अटॉर्नी से बात करें।

मुफ़्त और गोपनीय इमिग्रेशन कानूनी मदद के लिए मेयर का आप्रवासी मामलों का कार्यालय (Mayor's Office of Immigrant Affairs, MOIA) की इमिग्रेशन लीगल सपोर्ट हॉटलाइन पर कॉल करें:

1-800-354-0365

सोमवार से शुक्रवार, 9 बजे से 6 बजे   इंटरप्रेटेशन उपलब्ध है

प्रत्येक इमिग्रेशन कोर्ट में आस-पास के मुफ़्त या कम-खर्च वाले इमिग्रेशन कानूनी सेवा प्रदाताओं की सूची होती है।

अपने कोर्ट के आस-पास के मुफ़्त इमिग्रेशन कानूनी संगठनों की सूची पहले से देखने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस वेबसाइट पर जाएं: www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers